न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 6/19
दायरा दिनांक 10.01.2019
निर्णय दिनांक 28.08.2019

बउनवान

1. अशोक | पुत्रान तेजकरण जाति धाकड निवासीगण
2. हरिश | गीगचा तहसील किशनगंज जिला बारां

वादीगण

बनाम

1. गिरजाशंकर पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी गीगचा
2. नवल किशोर पुत्र गिरजाशंकर जाति धाकड निवासी गीगचा
3. विमला पुत्री गिरजाशंकर पत्नि शंकर जाति धाकड नि0 इकलेरा तहसील व जिला बारां
4. नन्दूबाई पुत्री गिरजाशंकर पत्नि कन्हैया लाल जाति धाकड निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज
5. अनिता पुत्री तेजकरण जाति धाकड निवासी गीगचा तहसील किशनगंज
6. कान्तीबाई पुत्री मथुरालाल पत्नि भैरूलाल जाति धाकड निवासी चेयरमेन मोहल्ला नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां
7. राधाबाई पुत्री मथुरा लाल पत्नि गोबरीलाल जाति धाकड निवासी बांसथूनी तहसील किशनगंज जिला बारां
8. नन्दकिशोर पुत्र चन्द्रमोहन जाति धाकड निवासी गीगचा
9. महेन्द्र कुमार पुत्र चन्द्रमोहन जाति धाकड निवासी गीगचा
10. राजकुमार नाबालिग पुत्र नरेन्द्र जरिये वली माता ममता बाई जाति धाकड निवासी गीगचा
11. ममताबाई बेवा नरेन्द्र कुमार जाति धाकड निवासी गीगचा तहसील किशनगंज जिला बारां
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय किशनगंज जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक :–28.08.2019

वादीगण की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक राधाबल्लभ नागर इस आशय का पेश किया –

1. यह कि आराजी वाके ग्राम गीगचा पटवार हल्का सिमलोद तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में खाता संख्या नया 26 पुराना 25 के ख0न0 93 रकबा 0.10 बीघा, ख0न0 165 रकबा 0.01 बीघा,ख0न0 165/1 रकबा 4.04 बीघा, ख0न0 196/1 रकबा 42.03 बीघा, ख0न0 ख0न0 197 रकबा 1.08 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 48.06 बीघा स्थित है। उक्त आराजी ... हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 का है तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 6 ... है ... प्रतिवादी क्रम

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:43:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

6 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। इस प्रकार अब उक्त आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा है, तथा यह आराजी अब प्रतिवादी क्रम 1 की पुश्तैनी आराजी है। उक्त आराजी को वाद पत्र मे आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि वाके ग्राम गीगची खाता संख्या 18 नई पुरानी 13 के ख0सं0 27 रकबा 9.14 बीघा ख0सं0 29 रकबा 9.02 बीघा, ख0सं0 38 रकबा 5.18 बीघा किता 3 कुल रकबा 24.14 बीघा सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी क्रम 1 की पैतृक आराजी है।

3. यह कि ग्राम गीगची की खाता संख्या नया 25 पुरानी 26 के ख0न0 102 रकबा 0.12 बीघा ख0स0 179 रकबा 16.17 बीघा किता 2 कुल रकबा 17.09 बीघा स्थित है, जो प्रतिवादी क्रम 1 के नाम सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज है। जो प्रतिवादी क्रम 1 की पुश्तैनी आराजी है, जिसको वाद मे विवादग्रस्त आराजी कहा गया है।

4. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त वर्णित आराजियात् मद नं0 1,2 व 3 की पूश्तैनी होने के कारण अपने जीवन काल मे ही अपने वारिसान वादीगण व प्रतिवादी क्रम 2 के हक मे दे दिया है तथा प्रतिवादी क्रम 3 व 4 प्रतिवादी क्रम 1 की पुत्रीयां है। जिन्होने भी अपने हक व हिस्से को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 2 को बरावर बांट मे तर्क कर दिया है, तथा प्रतिवादी क्रम 5 ने अपने हक को वादीगण के हक के बराबर से तर्क कर दिया है। इस प्रकार से उक्त वर्णित आराजी मद नं0. 1,2, व 3 में आराजी मद नं0 1 हिस्सा 1/2 वादीगण का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादीक्रम का भी हिस्सा 1/4 है तथा आराजी मद नं0 2 वादपत्र मे वादीगण का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी क्रम 2 का हिस्सा 1/2 है। तथा आराजी वर्णित मद नं0 3 मे वादीगण का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीक्रम 2 का हिस्सा भी 1/2 है।

5. यह कि उक्तानुसार वर्णित मद नं0 4 मे वादीगण उक्त आराजियात् मे व प्रतिवादी क्रम 2 उक्त आराजी मे अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवारकर खातेदार कृषक घोषित करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

6. यह कि वाद कारण दिनांक 02.01.2019 को जिला कलक्टर महोदय बारां को नोटिस प्रेषित करने पर व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 2 के हक मे देने पर उत्पन्न हुआ है।

7. यह कि नोटिस मियाद 2 माह अभी तक पूर्ण नही हुए है, नोटिस 2 माह पूर्ण होने तक वाद प्रस्तुत नही किया गया तो वाद पेश करने का मकसद बेकार हो जावेगा तथा वाद पेश करने के लिये 80(2) सीपीसी अलग से आज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

8. यह कि वाद का मुल्यांकन आराजी के लगान का 20 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

9. यह कि आराजी सम्माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे है। वाद के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को होने से वाद पेश किया जा रहा है।

10. यह कि वाद पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है।

11. यह कि राज0 सरकार को जरिये तहसीलदार किशनगंज वाद पत्र मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण इस आशय की डिक्री किया जावे कि:—
आराजी वर्णित मद नं0 1,2 व 3 वाद पत्र मे वर्णित [illegible] प्रतिवादी क्रम 1 के
मे उक्त वर्णित अनुसार मद नं0. 4 वाद पत्र मे वादीगण व प्र[illegible]क्रम 2 का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:43:24 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
[illegible] जिला बारां (राज.)

S[illegible] with CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार अंकित किया जावे। तथा पृथक से लगान निश्चित किया जावे। उपरोक्त आराजी से वादीगण को अवैध रूप से बेदखल नही करे और न ही अपने किन्ही प्रतिनिधियों से करावे। अन्य न्यायोचित सहायता दिलायी जावे। (57)

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि को प्रतिवादीगण 1 ता 6 की ओर से एड0 सुनील नागर ने वकालतनामा पेश किया क्रम 12 स्वयं उपस्थित क्रम 7 ता 10 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। क्रम 11 की तलबी हेतु पुनः तलबाना पेश किया सम्मन जारी किये। प्रतिवादी क्रम 11 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी क्रम 11 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 के मध्य राजीनामा इस आशय का पेश किया–

1. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ने आराजियात् वर्णित मद नं0 1,2,3 वाद पत्र को पुश्तैनी होने के कारण अपने जीवनकाल मे ही अपने वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 के हक मे दे दिया था तथा प्रतिवादी क्रम 3,4 प्रतिवादी क्रम 1 की पुत्रीयॉ है। जिन्होने भी अपने हक व हिस्से की आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 को बांट बराबर मे हक तर्क कर दिया है, तथा प्रतिवादी क्रम 5 ने अपने हक की वादीगण के हक मे हिस्सा बराबर मे तर्क कर दिया है। इस प्रकार से उक्त वर्णित आराजियात् वर्णित मद नं. 1 वादपत्र मे आराजी मद नं0 1 मे हिस्सा 1/2 मे वादीगण का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी क्रम 2 का भी हिस्सा 1/4 है।
2. यह कि आराजी मद नं0 2 वाद पत्र मे वादीगण का हिस्सा1/2 व प्रतिवादी क्रम 2 का भी हिस्सा 1/2 है। इसी प्रकार से मद नं0 3 वाद पत्र मे वादीगण का हिस्सा 1/2 है एवं प्रतिवादी क्रम 2 का भी हिस्सा 1/2 है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 का आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने के कारण राजीनामा अनुसार आराजी वर्णित मद नं0 1,2,3 वाद पत्र मे वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार कृषक दर्ज किये जाने की कृपा करे।

राजीनामा मे वादीगण की पहचान एड0 राधावल्लभ नागर ने की प्रतिवादीगण की पहचान एड0 सुनील नागर ने की। राजीनामा तस्दीक किया गया।

उमयपक्ष ने निवेदन किया कि प्रतिवादी क्रम 7 ता 11 के हित यथावत रहेगे। राजीनामानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाता है और इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है। कि वाके ग्राम गीगचा पटवार हल्का सिमलोद तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में खाता संख्या नया 26 पुराना 25 के ख0न0 93 रकबा 0.10 बीघा, ख0न0 165 रकबा 0.01 बीघा,ख0न0 165/1 रकबा 4.04 बीघा, ख0न0 196/1 रकबा 42.03 बीघा, ख0न0 ख0न0 197 रकबा 1.08 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 48.06 बीघा मे प्रतिवादी क्रम 1 व 6 का हिस्सा 1/2, वाके ग्राम गीगची खाता संख्या 18 नई पुरानी 13 के ख0सं0 27 रकबा 9.14 बीघा ख0सं0 29 रकबा 9.02 बीघा, ख0सं0 38 रकबा 5.18 बीघा किता 3 कुल रकबा 24.14 बीघा, वाकेग्राम गीगचा की आराजी खाता नं0 नया 25 पुराना 26 ख00न0 102 रकबा 0.12 बीघा, ख0न0 179 रकबा 16.17 बीघा कुल किता 2 रकबा 17.09 बीघा मे प्रतिवादी क्रम 1 का सम्पूर्ण हिस्सा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:43:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस आराजी वर्णित मे से प्रतिवादी क्रम 1 प्रतिवादी क्रम 6 का नाम हटाया जाता है तथा उक्त वर्णित आराजी मे वाके ग्राम गीगचा पटवार हल्का सिमलोद तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में खाता संख्या नया 26 पुराना 25 के ख0न0 93 रकबा 0.10 बीघा, ख0न0 165 रकबा 0.01 बीघा,ख0न0 165/1 रकबा 4.04 बीघा, ख0न0 196/1 रकबा 42.03 बीघा, ख0न0 ख0न0 197 रकबा 1.08 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 48.06 बीघा मे हिस्सा 1/2 मे वादीगण को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी क्रम 2 को हिस्सा 1/4 तथा आराजी वाके ग्राम गीगची खाता संख्या 18 नई पुरानी 13 के ख0सं0 27 रकबा 9.14 बीघा ख0सं0 29 रकबा 9.02 बीघा, ख0सं0 38 रकबा 5.18 बीघा किता 3 कुल रकबा 24.14 बीघा, तथा आराजी ग्राम गीगचा की आराजी खाता नं0 नया 25 पुराना 26 ख00न0 102 रकबा 0.12 बीघा, ख0न0 179 रकबा 16.17 बीघा कुल किता 2 रकबा 17.09 मे वादीगण को हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी क्रम 2 को हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:43:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner